न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक रिव्यु 3344–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2013 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक 978–पीबीआर/2013.

ग्राम पंचायत बिठेर तहसील कसरावद
जिला खरगोन तर्फे सरपंच .....आवेदक

विरूद्ध

1– जेठानंद पिता गंगाराम
निवासी ग्राम बिठेर
तहसील कसरावद जिला खरगोन
2– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, खरंगोन .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक ग्राम पंचायत बिठेर के सरपंच द्वारा दिनांक 8–11–2010 को तहसीलदार, कसरावद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टांडा बिठेर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 119 रकबा 0.372 हेक्टेयर पर अनावेदक कमांक 1 जेठानंद द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है । उक्त भूमि का चयन अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु किया गया है, अतः अनावेदक कमांक 1 का अतिक्रमण

हटाया जाये । नायब तहसीलदार, कसरावद द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–68/2010–11 दर्ज कर दिनांक 2–4–2011 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को 7 दिवस में कब्जा हटाने का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–9–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–1–2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24–6–2013 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अनावेदक कमांक 1 का अवैध अतिक्रमण पाते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने का उचित कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का उल्लेख तो किया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में क्या अवैधानिकता हुई है, यह आदेश में नहीं दर्शाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी में आदेश पारित करने में पटवारी के कथनों को निष्कर्ष का आधार बनाया गया है, जबकि पटवारी के कथन निर्णायक साक्ष्य नहीं हो सकते हैं । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 द्वारा अतिक्रमण की राशि जमा कराई गई है, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर साक्ष्य लेते हुए साक्ष्य से एवं स्थल निरीक्षण से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवैध अतिकमण किया जाना प्रमाणित पाया गया है । नायब तहसीलदार द्वारा तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों की अति विस्तार से विवेचना की जाकर सकारण आदेश पारित किया गया है, जो अपने स्थान पर पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है, और इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा अति संक्षिप्त निष्कर्ष निकाले जाकर नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है, और अपर आयुक्त का आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है । इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि करने में इस न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिए इस न्यायालय का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2013, अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2013 निरस्त किये जाते हैं एवं अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2011 एवं नायब तहसीलदार, कसरावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–2011 स्थिर रखे जाकर पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर